न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 21 / 2018

1 गिरधारी पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 इन्दौरी पत्नी चन्द्राराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
2 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
3 शिवभगवान पुत्र लिखमाराम।
4 कमला पत्नी श्रवण।
5 रघुनाथ पुत्र श्रवण।
6 केशर पुत्र सुखदेवाराम।
7 डाली बेवा सुखदेवाराम।
8 सुरजाराम पुत्र हनुमानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण प्रतापपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
9 रामलाल पुत्र दयालाराम।
10 विधाधर पुत्र रामलाल।
11 श्योपाल पुत्र रामलाल।
12 गोपीराम पुत्र रामलाल।
13 मोहनी पुत्री रामलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नारायण का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 भंवरलाल पुत्र बीरबल।
15 देवेन्द्र पुत्र बीरबल।
16 डोनर पुत्र बीरबल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 हरमित पुत्र बीबरल।
18 निर्मल पुत्र बीरबल नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिता माता श्रीमती सुमित्रा पत्नी बीरबल जाति जाट निवासीगण प्रतापपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार आर.ए.एस. बउनवानी प्रकरण इन्दौरी बनाम खिलमाराम व अन्य प्रकरण संख्या 10/2017 पुराना नम्बर 2/2012 व 6/2015 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2018

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेन्द्र मातवा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट इन्दौरी ने विचारण न्यायालय में अपनी भूमि खसरा नम्बर 62 गांव प्रतापपुरा तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लक्ष्मणगढ़ में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 60 के दक्षिणी व खसरा नम्बर 63 के उतरी सीमा के मध्य से खसरा नम्बर 59 बंजड़ जोहड़ से लेकर 60 व 63 के मध्य से प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 62 तक 30 फिट चौड़ा रास्ता अंकित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.06.2012 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी की और से विचारण न्यायालय में रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.05.2013 को खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2012 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.10.2014 को खारिज की गई है। इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जहां से निर्णय दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना करते हुये बाद सुनवाई पुन विचाराधीन निर्णय से प्रर्थीया इन्दौरी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की समुचित पालना नही की है। प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि उन्हे 30 फिट रास्ता ही क्यों चाहिए दिनांक 25.02.2016 की तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है कि जो रास्ता चाहा गया है। वहां रास्ता उपलब्ध नही है पुन मौका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2016 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना अंकित किया गया है। इस रिपोर्ट पर आपत्ति होने पर दिनांक 30.06.2016 को पुन रिपोर्ट हुई है इसमें अंकन है कि रास्ता मौके पर कभी चालु नही था। राजस्व ऐजेन्सी ने बिना प्रतिफल राशि दिये, अपील एवं निगरानी के विचाराधीन रहते रास्ते का नामान्तकरण कर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया यह कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्व है। प्रस्तुत प्रकरण में दिये गये रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लघुतम रास्ता उपलब्ध है विचारण न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नही किया है। विचाराधीन आदेश में अवरोध हटाकर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने बाबत आदेश पारित किये गये है। राजस्व न्यायालय को इसकी अधिकारिता नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी रेस्पोडेंट इन्दौरी ने विचारण न्यायालय में अपनी भूमि खसरा नम्बर 62 गांव प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 60 के दक्षिणी व खसरा नम्बर 63 के उतरी सीमा के मध्य से खसरा नम्बर 59 बंजड़ जोहड़ से लेकर 60 व 63 के मध्य से प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 62 तक 30 फिट चौड़ा रास्ता अंकित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.06.2012 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी की और से विचारण न्यायालय में रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.05.2013 को खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2012 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.10. 2014 को खारिज की गई है। इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जहां से निर्णय दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना करते हुये बाद सुनवाई पुन विचाराधीन निर्णय से प्रर्थीया इन्दौरी का आवेदन स्वीकार किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। खसरा नम्बर 62 आवेदक का है खसरा नम्बर 60 व 63 में से ए. से बी रास्ता होना एवं इस रास्ते को चौड़ा करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक ने डी.एल.सी. की बढ़ी हुई दरो के हिसाब से दुगुनी राशि जमा करवा दी है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद होना साक्ष्य से साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी रेस्पोडेंट इन्दौरी ने विचारण न्यायालय में अपनी भूमि खसरा नम्बर 62 गांव प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 60 के दक्षिणी व खसरा नम्बर 63 के उतरी सीमा के मध्य से खसरा नम्बर 59 बंजड़ जोहड़ से लेकर 60 व 63 के मध्य से प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 62 तक 30 फिट चौड़ा रास्ता अंकित करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.06.2012 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी की और से विचारण न्यायालय में रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 20.05.2013 को खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2012 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.10.2014 को खारिज की गई है। इसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जहां से निर्णय दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना करते हुये बाद सुनवाई पुन विचाराधीन निर्णय से प्रर्थीया इन्दौरी का आवेदन स्वीकार किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। खसरा नम्बर 62 आवेदक का है खसरा नम्बर 60 व 63 में से ए. से बी रास्ता होना एवं इस रास्ते को चौड़ा करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक ने डी.एल.सी. की बढ़ी हुई दरो के हिसाब से दुगुनी राशि जमा करवा दी है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद होना साक्ष्य से साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण धारा 251ए का है इसमें यद्यपि संक्षिप्त प्रकिया होती है तथापि प्रकरण में पूर्व में विचारण न्यायालय, प्रथम अपील न्यायालय एवं माननीय मण्डल में प्रकरण निर्णित हो चुका है पुन माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय ने विधि प्रकिया अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर